न्यायालय सिविज जज जूनियर डिवीजन बांसगाँव, गोरखपुर।

मुत० वाद संख्या 23/2019 **JO Code- UP2438**

धीरेन्द्र सिंह बनाम रणजीत सिंह **CNR No- UPGK120001812019**

दिनांक 03-10-2020

पत्रावली पुकार पर पेश हुई। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण संशोधन प्रार्थना पत्र कागज सं० 24 क 2 नियत है।

निस्तारण संशोधन प्रार्थना पत्र 24 क 2

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सायल द्वारा अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा०दि० वाद पत्र में संशोधन के आशय से लाया गया। सायल द्वारा कथन किया गया कि स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षी द्वारा किये गये अवैध निर्माण के बावत प्रार्थी ने मानहानि का दरखास्त दिया है। इसके बावजूत प्रतिवादी नें सन् 2020 में पुनः स्थगन आदेश का अवमानना करते हुए भट्ठा की पश्चिमी दीवाल को लगभग 10 फुट ऊची बना लिये है। सायल द्वारा दरखास्त मानहानि में संशोधन किये जाने की न्यायालय से याचना किया है।

विपक्षी द्वारा सायल के प्रार्थना पत्र 24 क 2 पर आपत्ति कागज सं० 26 ग दाखिल। विपक्षी द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 18-07-2020 बिल्कुल गलत व आधारहीन है। स्थगन आदेश पारित होने के बाद प्रार्थी द्वारा मौके पर न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन किया गया है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पूर्व से ही पश्चिमी दीवाल 10 फीट ऊंची बनी हुई थी। इसप्रकार विपक्षी द्वारा सायल के प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से यह तथ्य प्रार्थना पत्र 4 ग में संशोधित किये जाने की याचना की है कि विपक्षी द्वारा विवादित भट्ठा की पश्चिमी दीवाल 5-6 फीट से ऊची लगभग 10 फुट बनाते हुए अदालत के स्थगन का घोर उल्लघन किया गया है। सायल द्वारा जिस संशोधन बावत प्रार्थना पत्र 24 क प्रस्तुत किया गया है उसका वर्णन प्रार्थना पत्र 4 ग में पहले ही किया जा चुका है। अमीन रिपोर्ट कागज सं० 14 ग मय नक्शा 15 ग के अवलोकन से दर्शित है कि विवादित भट्ठे के पश्चिमी दीवाल जो कि 4 फीट ऊची थी उसे 10 फीट ऊची बनाकर निर्माण किया गया है। इस संदर्भ में मूलवाद की अमीन रिपोर्ट का अवलोकन किया। मूलवाद की अमीन रिपोर्ट में विवादित भट्ठे की पश्चिमी दीवाल को 4 फीट ऊची होना बताया गया है। अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा संशोधन के माध्यम से जिस तथ्य को अंकित किये जाने की याचना की गयी है। वह पूर्व से ही प्रार्थना पत्र 4 ग में मौजूद है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों मे संशोधन प्रार्थना पत्र कागज सं० 24 क 2 स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नही है।

आदेश

सायल का संशोधन प्रार्थना पत्र कागज सं० 24 क 2 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 16-10-2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर